@संसदअधिकारी (मोटरकार अिग्रम) िनयम, 1953

केन्द्रीय सरकार, संसद अधिकारी वेतन औरभत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापित और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके, मोटरकार खरीदने के िलए संसद अधिकािरयों को अिग्रम का दिया जाना िविनयिमत करनेके िलए िनम्निलिखत िनयम बनाती है, अथार्त् :-

1. संिक्षप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन िनयमों का संिक्षप्त नाम संसद अधिकारी (मोटरकार अिग्रम) िनयम, 1953 है।

(2) ये 1 मई, 1953 को प्रवृत हुए समझे जाएंगे।

2. अिग्रम की अधिकतम रकम -(1) ऐसी अधिकतम रकम जो िकसी संसद अधिकारी को मोटरकार खरीदने के िलए उधार दी जाती है, *'एक लाख' रुपये या उस मोटरकार की, िजसके खरीदने का िवचार है, वास्तिवक कीमत से, इनमें से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी।

(2) उपिनयम (1) के अधीन अिग्रम रकम राष्ट्रपित केनाम में मंजूर की जाएगी और उसे अिधप्रमाणन (आदेश और अन्य िलिखत) िनयम, 1958 केउपबंधों के अनुसार अिधप्रमािणकृत िकया जाएगा।

3. अिग्रम का प्रितसंदाय - (1) िनयम 2 के अधीन िदए गए अिग्रम और उस पर ब्याजकी वसूली, संबद्ध संसद अधिकारी के वेतन िबल से अधिक से अधिक साठ समान मािसक िकस्तों में की जाएगी। िकन्तु यिद अिग्रम लेने वाला संसद अधिकारी चाहे तो सरकार कम िकस्तों में वसूली अनुज्ञात कर सकेगी। कटौती अिग्रम लेने के पश्चात् वेतन के पहले िबल सेप्रारंभ की जाएगी। अिग्रम पर साधारण ब्याज उस दर पर प्रभािरत िकया जाएगा जो सरकारी सेवकों द्वारा वाहन खरीदने के प्रयोजन के िलए सरकार द्वारा िनयत की जाए।

स्पष्टीकारण - प्रितमास वसूल की जाने वाली अिग्रम की रकम पूणर् रुपयों में िनयत की जाएगी िसवास अंितम िकस्त के, जब शेष बकाया रकम, िजसके अंतगर्त रुपये का कोई भाग भी है, वसूल की जाए।

@ िहन्दीअनुवाद भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3-क, िदनांक 31.8.1988 में प्रकािशत िकया गया।

* भारतके असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), िदनांक 23.02.1999 में प्रकािशत अिधसूचना संख्या 13(3)/98-का. अ. द्वारा प्रितस्थािपत।

(2) यिद कोई संसद अधिकारी अिग्रम का पूणर्त:प्रितसंदाय िकए जाने के पूवर् अपना पद त्याग देता है तो शेष बकाया रािश उस पर ब्याजसिहत तुरंत सरकार को एक मुश्त रािश में संदत्त की जाएगी।

4. मोटरकार का िवᮓय - (1) उस दशा के िसवाय जब कोई संसद अिधकारी अपना पद छोड़ता है, संसद अिधकारी अिᮕम कᳱ सहायता से खरीदी गई मोटरकार के िवᮓय के िलए सरकार कᳱ पूवᭅ मंजूरी उस दशा मᱶ लेगा जब ऐसा अिᮕम उस पर उ᭞भूत ᭣याज सिहत पूणᭅᱨप से ᮧितसंदᱫ नही कर ᳰदयागया है। यᳰद कोई संसद अिधकारी अपनी मोदरकार का अंतरण ᳰकसी अ᭠य संसद अिधकार को करनाचाहता है तो उसे मोटरकार से संब᳍ दाियᱬव का प᳍ ाᱬवतᱮ संसद अिधकारी को अंतरणकरने कᳱ सरकार के आदेश᳍ के अधीन अनु᭄ा दी जा सकेगी, परंतु यह तब जब खरीदने वालासंसद अिधकारी यह घोषण अिभिलखत करे ᳰक उसे इस बात कᳱ जानकारी है ᳰक उसे अंतᳯरत मोटरकार बंधक कᳱ ᱷई है और वह बंधपᮢ के िनबंधन᳍ और उपबंध᳍ से आब᳍ है।

(2) उन सभी मामल᳍ मᱶ जहां ᳰकसी मोटरकार कािवᮓय, सरकार से उसके खरीदने के िलए ᮧाᳯ᳙ अिᮕम रािश का ᭣याज

सिहत पूणᭅᱨपसे ᮧितसंदाय ᳰकए जाने से पूवᭅᳰकया जाता है, वहां िवᮓय आगम का उपयोग, जहां तक आव᭫यक हो ऐसी शेष बकाया रकम के ᮧितसंदाय के िलए ᳰकया जाना चािहए। परंतु जबमोटरकार का िवᮓय कोई
दूसरी मोटरकार खरीदने के िलए ही ᳰकया जाता है, तब सरकार, संसद अिधकारी को िवᮓय आगम का ऐसी खरीद के िलए उपयोग करने कᳱ अनु᭄ा िन᳜िलिखतशत᳍ के अधीन रहते ᱟए दे सकेगी, अथाᭅत् :-

(क)बकाया रकम नई कार कᳱ लागत से अिधक नहᱭ होनेदी जाएगी;

(ख)बकाया रकम का ᮧितसंदाय पूवᭅ िनयत दर परᳰकया जाता रहेगा; और

(ग)नई कार का बीमा कराया जाएगा और वह सरकार कोबंधक कᳱ जाएगी।

5. अविधिजसके भीतर कार खरीदने के िलए बातचीत पूरी कᳱ जा सकेगी -अिᮕम लेकर मोटरकार खरीदने वाला संसद अिधकारी मोटरकार खरीदने कᳱ बातचीत पूरी करकेउसका अंितम संदाय अिᮕम लेने कᳱ तारीख से एक मास के भीतर करेगा; ऐसी बातचीत पूरीकरके संदाय करने मᱶ असफल रहने पर, िलए गए अिᮕम कᳱ पूरी रकम उस पर एक मास के ᭣याज सिहत सरकार को वापस कर दी जाएगी। जब ᳰकसी मोटरकार कᳱ खरीद करके उसका पूरा संदाय ᳰकया जा चुका हो तब मोटरकार कᳱ खरीद करने के िलए कोई अिᮕम अनु᭄ेय नहᱭहोगा। ᳰकसी ऐसे मामले मᱶ िजसमᱶ संदाय भागᱨप ᳰकया गया है, अिᮕम कᳱ रकम, दी जानेवाली बाकᳱ रकम तक सीिमत होगी जैसा संसद अिधकारी ᳇ारा ᮧमािणत ᳰकयाजाए।

6. करारका िन᭬पादन -अिᮕम लेते समय संसद अिधकारी से ᮧᱨप 1 मᱶ करार िन᭬पादन करने कᳱ अपेᭃा कᳱ जाएगी और खरीद पूरी होने पर, उससे ᮧᱨप 2 मᱶ एक ऐसा बंधक-पᮢ िन᭬पाᳰदत करने कᳱभी अपेᭃा कᳱ

जाएगी िजसम७ अि⁄म के िलए ॄितभूित के ९प म७ मोटरकार सरकार कोआडमान (िगरवी) रखी गई हो। मोटरकार कऽ कऽमत बंधक-पृ के साथ संल िविनदὁश कऽ अनुसूची म७ॄिविकऽ जाएगी।

7. वेतनऔर लेखा अिधकारी को ॄमाणपृ-जबकोई अि⁄म िलया जाता है तब मंजूरी ॄािधकारी, रा३य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखाअिधकारी को इस आशय का एक ॄमाणपृॄ᐀तुत करेगा ᑸक अि⁄म लेने वाले संसदअिधकारी ने ॄा९प 1 म७ करार पर ह᐀ताᕔर कर ᑸदए है और वह करार ठीक पाया गया है।मंजूरी ॄािधकारी यह देखेगा ᑸक मोटरकार कऽ खरीद अि⁄म लेने कऽ तारीख से एक मास केभीतर कऽ जाती है और वह ॄािधकारी बंधक-पृ को अंितम ९प से अिभलेख म७ रखने सेपूवὀ रा३य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अिधकारी को उसकऽपरीᕔा के िलए तुरंतॄ᐀तुत करेगा।

8. बंधक-पृकऽ सुरिᕔत अिभरᕔा और उसका रᏧᑸकया जाना -बंधक-पृ मंजूरी ॄािधकारी कऽ सुरिᕔत अिभरᕔा म७ रखा जाएगा। जबअि⁄म का पूणὀत: ॄितसंदाय कर ᑸदया गया जो तब अि⁄म और ᭤याज के पूणὀ ॄितसंदाय के बारे म७ रा३य सभा/लोक सभा के वेतन और लेखा अिधकारी से ॄमाणपृॄाᯈ करने के पात् बंधक-पृ सᆓयकत: रᏧᑸकया जाकर संब संसद अिधकारी कोवापस कर ᑸदया जाएगा।

9. मोटरकारका बीमा- अि⁄म से खरीदी गई मोटरकार का अि, चोरी या दुधὀटना से होने वाली पूरी हािन के िलए बीमा कराया जाएगा। बीमा पािलसी म७ एक ऐसा खंड (जैसा ॄा९प 3 म७ है) होगािजसके ᳇ारा बीमा कंमनी मोटरकार कऽ ऐसी हािन या नुकसान कऽ बाबत, िजसकऽॄितपूᳶतमरᆆमत, यथापूवὀकरण या ॄित᐀थापन ᳇ारा नहᱭ कऽ जाती है, संदेय ᑸक३हᱭ रािशयᲂका संदाय ᐀वामी को करने के बजाय सरकार को करने के िलए करार करती है।

ॄ९प - 1

मोटरकारखरीदने के िलए अि⁄म लेने समय ᑸकए जाने वाले करार काॄ९प

यह करार एक पᕔकार के ९प म७᮰ी.. .. .. जो संसद का एक अिधकारी है (िजसेइसम७ आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतगὀत उसका िविधक ॄितिनिध औरसमनुदेिशती भी है) और दूसरे पᕔकार के ९प म७ भारत के राᳶपित (िज३ह७ इसम७आगे के३ᮤीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .. .. को ᑸकयागया ।

उधार लेने वाले ने मोटकार खरीदने के िलएसंसद अिधकारी वेतन और भᱫा अिधिनयम, 1953 के अधीन बनाए गए िनयमᲂ के, जो मोटरकारके खरीदने के िलए संसद के अिधकाᳯरयᲂ को अि⁄म कऽ मंजूरी को िविनयिमत करते ह., उपबंधᲂ के अधीन .. .. ९पय७(.. .. .. ९पये) उधार ᑸदए जानेके िलए क७ᮤीय सरकार को आवेदन ᑸकया है

और क॰्ीय सरकार उधार लेने वाले को उ रकम आगे ठदए गए िनबंधन और शत पर उधार देने के िलए सहमत हो गई है।

इसके पᭃकार के बीच यह करार ठकया जाताहै ठक उधार लेने वाला क॰्ीय सरकार ᳇ारा उसे दी जाने वाली .. ..ᱧपये (.. .. .. ᱧपये) कᳱ रकम के ᮧितफलᭅवᱧप क॰्ीय सरकार केसाथ यह करार करता है ठक वह (1) क॰्ीय सरकार को उ रकम का तथा उ िनयम केअनुसार लगाए गए ᭣याज का संदाय अपने वेतन म॰ से ᮧितमास कटौती करके करेगा,जैसा ठकअ िनयम म॰ उपबंिधत है, और एसी कटौितय-करने के िलए के३्ीय सरकार कोᮧािधकृत करता है, और (2) इस िवलेख कᳱ तारीख से एक मास के भीतर उ उधार कᳱपूरीरकम मोटरकार खरीदने म॰ लगाएगा या यठद उसके ᳇ारा दी गई वाᭅतिवक कᳱमत उधार कᳱ रकमके कम है तो शेष रकम क॰्ीय सरकार को तुरंत लौटा देगा, और (3) उधार लेने वाले कोपूव उधार कᳱ रकम और ᭣याज के िलए ᮧितभूित के ᱧप म॰ उ मोटरकार कोक॰्ीय सरकार के पᭃ म॰ आडमान (िगरवी) रखने के िलए उ िनयम᳇ारा उपबंिधतᮧᱧप म॰दᭅतावेज का िन᭬पादन करेगा। यह करार ठकया गया जाता है और घोषण कᳱ जातीहै ठक इस िवलेख कᳱ तारीख से एक मास के भीतर उ मोटरकार खरीदी और आडमान रखी नहीजाती है या यठद उधार लेने वाला उस अविध के भीतर ठदवािलया हो जाता है या अपना पदछोड़ देता है या उसकᳱ मृ᭜यु हो जाती है तो उघार कᳱ पूरी रकम और उस पर ᭣याज तुरंतशो᭢य और संदेय हो जाएगा।

इसके साᭃयᭅवᱧप उधार लेने वाले नेपूव ठदन और वषᭅ को इस पर अपने हᭅताᭃर कर ठदए है।

उ.. .. ..

(उधारलेने वाले का नाम) ने(उधार लेने वाले के हᭅताᭃर)

.. .. पदनाम.. .. ..

(साᭃीके हᭅताᭃर)

.. .. ..

कायाᭅलय.. .. ..

कᳱउपिᭅथित म॰ हᭅताᭃर ठकए।

ᮧᱧप - 2

मोटरकारअिᮕम के िलए बंधकप का ᮧᱧप

यह करार एक पᭃकार के ᱧप म॰.. .. ..

(िजसे इसम॰ आगे "उधार लेने वाला" कहा गया हैऔर इसके अंतगᭅत उसके वाᳯरस, ᮧशासक, िन᭬पादक और िविधक ᮧितिनिध भी है) और दूसरेपᭃकार के ᱧप म॰ भारत के रा᳦पित (िज३ह॰ इसम॰ आगे "रा᳦पित" कहा गया हेऔर इसके अंतगᭅत उनके उᱫरवतᱮ और समनुदेिशती भी ह.) के बीच तारीख .. ..

.. .. .. को ôकयागया।

उधार लेने वाले ने एक मोटरकार खरीदने केिलए संसद अिधकारी वेतन और भ�ा अिधिनयम, 1953 के अधीन बनाए गए िनयम□(िजÿह₹इसम₹ आगे "उ□ िनयम" कहा गया है) के, जो मोटरकार खरीदने के िलए संसद केअिधकाåरय□को अिÆम मंजूर करने के बारे म₹ ह., िनयम 3 के िनबंधन□ पर .. .. ®पये के अिÆम के िलए आवेदन ôकया हैऔर वह मंजूर कर ôकया गया है और उधार लेने वाले को उ□ अिÆम िजन शत□ पर ôदयागया है उनम₹ से एक यह है ôक उधार लेने वाला उसे उधार दी गइर् ◌् रकम के िलये◌ृितभूित के ®प म₹ उ□ मोटरकार रा᳦पित को आडमान (िगरवी) रखेगा ओर उधार लेनेवाले पूव□ि□ के ®प म₹ इस ◌ृकार अिÆम रकम से, या उसके भाग से मोटरकार, िजसकã िविशि᳞ां इसके नीचे िलखी अनुसुची म₹ दी गई ह., खरीद लीहै।

यह करार इस बात का साᭃ्ी है ôक इसकेअनुसरण म₹ और पूव□□◌ृितफल के िलए उधार लेने वाला यह ◌ृसंिवदा करता है ôक वहपूव□□.. .. .. ®पये कã रकम या उसके उस भाग का जो इसिवलेख कã तारीख तक शेष रह जाता है .. ..®पये कã समान ôक᭭त□ म₹◌ृ०येक मास के ◌ृथम ôदन संदाय करेगा और उस समय देय औरशेष रािश पर उ□ िनयम के अनुसार लगाया गया ᭣याज देगा। उधार लेने वाला इस बात केिलए सहमत है ôक ऐसी ôक᭭त₹ उ□ िनयम□ᳩारा उपबंिधत रीित म₹ उसके वेतन सेमािसक कटौितयां करके वसूल कã जा सक₹गी और उ□ करार के ही अनुसरण म₹ उधार लेनेवाला मोटरकार का, िजसकã िविशि᳞ां नीचे िलखी अनुसूची म₹ दी गई है, उ□ अिÆमऔर उस पर ᭣याज के िलए ◌ृितभूित के ®प म₹ उ□ िनयम□कã अपेᭃ्ानुसाररा᳦पित को समनुदेशन और अंतरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यहधोषणा करता है ôक उसने उ□ मोटरकार कã पूरी कãमत का संदाय कर ôदया है और वह पूणᭅ®प से उसकã संपि� है और उसने उसे िगरवी नहƹ रखा है और जब तक उ□ अिÆम केसंबंध म₹ कोई धनरािश रा᳦पित को संदेय रहती है तब तक वह उ□ मोटरकार को न तोबेचेगा, न िगरवीरखेगा और न उसम₹ अपने᭭व०व या क᭣ज़े को छोड़ेगा। यह भी करार ôकया जाता है और धोषणा कã जाती है ôक यôदमूलधन कã उ□ôक᭭त□ म₹ से कोई ôक᭭त या ᭣याज देय हो जाने के प   ात् दस ôदन केभीतर पूव□□®प म₹ नही दे ôदया जाता है या वसूल नहƹ कर िलया जाता है या यôदउधार लेने कãôकसी समय मृ०यु हो जाती है, या ôकसी भी समय अपना पद छोड़ देता है यायôद उधार लेने वाला उ□मोटरकार को बेच देता है या िगरवी रख देता है या उसम₹ अपने᭭व०व या क᭣जे को छोड़ देता है अथवा वह ôदवािलया हो जाता है या अपने लेनदार□ केसाथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यôद कोई ि□ उधार लेने वाले के िखलाफôकसी िडÿã या िनणᭅय के िन᭬पादन म₹ कायᭅवाही आंरभ करता है तो उ□ मूल धन कãपूरी रकम को जो उस समय देय हो ôकÿतु उसका संदाय न ôकया गया हो, पूव□□®प सेलगाए गए ᭣याज सिहत तुरÿत संदेय हो जाएगी और यह करार ôकया जाता है और धोषणा कãजाती है ôक इसम₹ इसके पूवᭅ उि᭨लिखत धटना□ म₹ से ôकसी के होने पर रा᳦पितउ□ मोटरकार को अिभÆहण कर सक₹गे और उसका क᭣जा ले सक₹गे या तो उसको हटाए िबनाउस पर क᭣जा रख सक₹गे, या उसे हटा सक₹गे और सावᭅजिनक नीलामी अथवा ◌ृाईवेटसंिवदा ᳩारा उसे बेच सक₹गे तथा बेचने से ◌ृा᳙ रकम म₹ से उ□ अिÆम का

उससमय शेष भाग और पूव□□९प मω लगाया गया और देय कोई ᷊याज और इसके अधीन अपनेअिधकार□ को बनाए रखने, उसकऽ र᷃ा करने या उ३हωᵽा᳙ करने मω उिचत ९प सेठकए सब खचᱶ, ᵽभार, य और संदाय अपने पास रख सकωगे तथा यठद कोईरकम शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले, उसकेिन᳹पादक□, ᵽशासक□ या वैयि□क ᵽितिनिधय□ को दे दωगे, पर३तु उ□ मोटरकारका क᭣जा लेने या उसको बेचने कऽ पूव□□ शि□ से, उधार लेने वाले पर या उसकेवैयि□क ᵽितिनिधय□ पर उ□ शेष और ᭣याज के िलए अथवा यठद मोटरकार बेच दी जातीहै तो उतनी रकम के िलए िजतनी से बेचने से ᵽा᳙ शु□ आगम देय रकम से कम पड़ेरा᳦पित के वाद लाने के अिधकार पर ᵽितकूल ᵽभाव नही पड़ेगा तथा उधार लेनेवाला यह भी करार करता है ठक जब कोई धनरािश रा᳦पित को देय हो और बाकऽ रहे तब तकउधार लेने वाला उ□ मोटरकार का अि□, चोरी या दुधᭅटना से हािन या नुकसान के िलएठकसी बीमा कंमनी मω, जो संबंिधत महालेखाकार ᳇ारा अनुमोठदत कऽ जाए, बीमा कराएगाऔर उसे चालू रखेगा तथा महालेखाकार को समाधानᵽद ९प मω इस बात का सा᭯य पेशकरेगा ठक उस मोटर बीमा कंपनी को, िजसमω उ□मोटरकार का बीमा कराया गया है यहसूचना िमल चुकऽ है ठक उस पािलसी मω रा᳦पित िहतब□ है। उधार लेने वाला यह भीकरार करता है ठक वह उ□ मोटरकार को न᳥ या ᭃितᮕ᭭त नहθ करने देगा या होनेदेगा अथवा उसमω उिचत टूट-फूटसे अिधकटूट-फूट नहθ होने देगा तथा यठद उ□ मोटरकार को कोई नुकसान पᱟंचता है या उसके साथकोई दुधᭅटना होती है तो उधार लेने वाला उसकऽ तुर३त मर᭥मत कराएगा और उसे ठीक करालेगा।

अनुसूची

मोटरकारका वणᭅन :

गाड़ीका नाम :

वणᭅन :

िसलωडर□कऽ सं□या :

इंिजनसं□या :

चैिससंसं□या :

लागत :

इसकेसा᭯य᭭व९प उ□.. .. ..

.. (उधारलेने वाने का नाम) और रा᳦पित के िलए तथा उनकऽ ओर से .. ..

.. ने उ□ठदन और वषᭅ को इस पर अपने-अपने ह᭭ताᭃर कर ठदए है-

उ□.. .. ..

.. ..

ने

1. .. .. (उधार लेने वाले के

ह᭭ताᭃर 2. .. ..

औरपदनाम)

(साि᭯य□ केह᭭ताᭃर)

कऽउपि ंथित मछ ह ंता ंर ४कए।

राष्ट्रपित के िलए और उनकऽ ओरसे
.. ..
.. ..
(अिधकारी का नाम और पदनाम)

ने

(अिधकारी केह ंता ंर)

1. .. .. पदनाम..
.. ..

2. .. .. कायाथलय ..

.. ..

(सा ंय केह ंता ंर)

कऽउपि ंथित मछ ह ंता ंर ४कए।

उधारलेने वाले का नाम और पदनाम .. ..

ूऽप-3

बीमापािलसी मछ जोड़े जाने वाले खंड का ूऽप

1.यहधोषणा कऽ जाती है और करार ४कया जाता है ४क ०ी.. .. .. ने(मोटरकार का ंवामी िजसे इसमछ आगेइस पािलसी कऽ अनुसूची मछ बीमाकृत कहा गया है)कार केउ ंीय सरकार को (या भारत संध के राष्ट्रपित को) उस अिम के िलए ूितभूितके ऽप मछ आडमान कर दी है, जो उस मोटरकार के खरीदने के िलए िलया गया है। यह भीधोषणा कऽ जाती है और करार ४कया जाता है ४क उ सरकार (या राष्ट्रपित) ऐसे धन मछभी िहतब ह. जो, य४द यह पृ ांकन न होता तो उ ०ी .. .. (इस पािलसी के अधीन बीमाकृत) कऽ उ मोटरकार कऽ हािन या उसकोछुए नुकसान कऽ बाबत (िजस हािन या नुकसान कऽूितपूित मरम्मत, यथापूवथकरण याूित ंथापन ारा नह८ कऽ गई है) संदेय होगा। ऐसा धन सरकार को उस समय तक ४दयाजाएगा जब तक ४क वह इस मोटरकार कऽ बंधकदार है। सरकार कऽरसीद इस बात का ूमाण होगी४क ऐसी हािन या नुकसान कऽ बाबत कंपनी ने पूरा और अंितम भुगतान कर ४दयाहै।

2.इसपृ ांकन ारा अिभ ऽप से जो करार ४कया गया हे उसके िसवास इसकऽ४कसी भीबात से बीमाकृत के या कंमनी के इस पािलसी के अधीन या संबंध मछ अिधकार या दाियत्वका अथवा इस पािलसी के ४कसी िनबंधन, उपबंध या शतथ का न तो उपांतरण होगा और न उस परूभाव पड़ेगा।